महत्वपूर्ण

संख्या-54/2022/264/26-3-2022-10(15)/2007

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 मई 2022

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन,प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1167/स0क0/विकास/एकीकृत/योजना का दिशा-निर्देश/2021-22 दिनांक-24.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के उदेदश्य को पूर्ण करने तथा योजना को कारगर बनाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-4272/26-3-2007-10(15)/67 दिनांक-19.02.2008, शासनादेश संख्या-177/2019/2545/26-3-2019-06(विविध)/2018 दिनांक-24.07.2019, संख्या-193/2019/3671/26-3-2019 दिनांक-28.08.2019, संख्या-1099/26-3-2020 दिनांक-27.04.2020, संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12.05.2020, संख्या-138/26-3-2019 दिनांक 30.01.2019, संख्या-1318/26-3-2016 दिनांक-29.07.2016 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों के कारण योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं एकरूपता तथा अनुश्रवण में सुगमता बनाये रखने हेतु नवीन गाइड-लाइन निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु संचालित उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं एकरूपता लाने तथा अनुश्रवण में सुगमता बनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1)-योजना का मूल उद्देश्य -

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण कराकर अनुसूचित जातियों का समग्र विकास कराते हुए उनकों समाज की मुख्य धारा से जोड़ना योजना का उद्देश्य है, ताकि अनुसूचित जाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से योजना का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो । योजना का उद्देश्य समाज के अत्यन्त पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित किये जाने एवं उसका लाभ पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुँचाना है ।

(2)-योजनान्तर्गत आच्छादित कार्य का प्रकार एवं विवरण -

योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्यों की व्यापकता के आधार पर निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है:-

(i)-सम्पर्क मार्ग का निर्माण

अनुसूचित जाति के चिन्हांकित ग्रामों के समूहों की आबादी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण मुख्य मार्ग से जोड़ें जाने हेतु किया जायेगा, जिससे दूर- दराज स्थित ग्रामों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके । सम्पर्क मार्गों को इस प्रकार से आपस में जोड़ा जाय कि उक्त ग्राम की सम्पूर्ण आबादी को समुचित मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकें । जहाँ तक संभव हो सके ग्राम के एक छोर से दूसरे छोर को आपस में सम्पर्क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाय ।

(ii)-इण्टरलाकिंग, सी०सी०रोड, पिच रोड़, पुलिया एवं नाली निर्माण -

(क) अनुसूचित जाति के चिन्हांकित ग्रामों की समूहों की आबादी में जहाँ पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका हो परन्तु निवासरत आबादी की गलियों एवं मजरों में सड़को / मार्गों का अपेक्षित विकास न हुआ हो तथा पानी इत्यादि के निकासी की व्यवस्था न होने की दशा में उक्त गलियों में इण्टरलाकिंग, सी०सी० रोड तथा नाली निर्माण कराकर उक्त आबादी को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जाए।

(ख) अनुसूचित जातियों के ग्रामों में जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ बिखरी हुयी संख्या (Scattered Numbers) में निवास कर रही हों अर्थात मजरों एवं टोलों के रूप में आवासित है, वहाँ पर आपस में दो मजरों एवं टोलों को जोड़ने हेतु भी इस योजनान्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्पर्क मार्ग, सी. सी रोड, पिच रोड़, पुलिया, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण इत्यादि विकास कार्य कराया जाए।

(iii)सामुदायिक केन्द्र का निर्माण -

प्रस्तावित योजना में चिन्हित ग्रामों में सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना इस प्रकार करायी जाये कि जिसमें सामाजिक कार्य विवाह आदि सम्पन्न होने के साथ-साथ इन केन्द्रों का उपयोग रोजगार प्रशिक्षण, कृषि उपज का वितरण तथा बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अवसर पर इनका उपयोग अनुसूचित जातियों के वर्गों को हो सके। जनपदों द्वारा प्रस्तावित / चयनित सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु चयनित भूमि राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए तथा भूमि सें संबंधित अभिलेख (खतौनी) ग्राम सभा का प्रस्ताव, भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव एवं उक्त भूमि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त एवं विवाद रहित है का प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा । सामुदायिक केन्द्र का निर्माण निशुल्क भूमि प्राप्त होने पर किया जायेगा । उपयुक्त भूमि का चयन इस प्रकार किया जाय कि सामुदायिक केन्द्र निर्माणोपरान्त अनुसूचित जातियों हेतु सहजता से सुलभ हो ।

(iv)-पेयजल -

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु योजना में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना के साथ-साथ विस्तृत प्लेटफार्म व जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए नाली निर्माण कराया जाता है । ऐसे जनपद जो तराई क्षेत्र में है तथा जहाँ पर आर्सेनिक की समस्या है वहाँ पर निवासरत अनुसूचित जाति के ऐसे गाँवों में सौर ऊर्जा से संचालित बैक्ट्रोलाजिकल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट मय आर०ओ० स्थापित किया जाए। हैण्डपम्प अधिष्ठापन उ०प्र० जल निगम के मानकों के अनुरूप किया जायेगा ।

(v)-आवास निर्माण योजना -

प्रदेश सरकार द्वारा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों को लाभान्वित किया जा रहा है परन्तु बहुत ऐसे गरीब अनुसूचित जाति परिवार अभी भी उक्त योजना के लाभ से वंचित है, ऐसे अति गरीब अनुसूचित जातियों में पिछडे परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तर्ज पर आवास निर्माण कराया जायेगा। पात्रता एवं अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध प्रधानमंत्री ग्राम्य आवास योजना के अनुसार होगी। योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को जिनके पास पक्का मकान नही है, को वरीयता के आधार पर आवास निर्माण कराया जायेगा ताकि वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति में अतिपिछडे को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3)-योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन की पात्रता

(1)- उक्त योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन करते समय ऐसे ग्रामों के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाय जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम **25** प्रतिशत तथा अधिकतम **50** प्रतिशत से कम निवास कर रही हो। ताकि अधिकतम अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से योजना से लाभान्वित हो सके एवं उक्त ग्रामों में विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(2)- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत एक जनपद से समेकित रूप से दो अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्यो जिसकी कुल अधिकतम लागत रूपया एक करोड सीमा के अन्दर हो, के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जिसमें एक ग्राम का प्रस्ताव अधिकतम रूपया पचास लाख की सीमा तक का हो।

(3)-योजनान्तर्गत जिस जनपद का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है उसी जनपद के दूसरे प्रस्ताव पर तब तक विचार नही किया जायेगा, जब तक उस जनपद की उस परियोजना का कार्य पूर्ण न करा दिया गया हो तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(4)-नयी परियोजना/प्रस्ताव को तब तक स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी जब तक योजनान्तर्गत पूर्व से प्रचलित परियोजनाओं को पूर्ण कराने हेतु अवशेष किश्तों का भुगतान न कर दिया गया हो तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो एवं उक्त् सूचना से शासन को अवगत कराना अनिवार्य है।

(5)-गत वर्षो में प्राप्त नवीन प्रस्ताव जो धनाभाव के कारण स्वीकृत नही हुये है, को चल वित्तीय वर्ष/अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत नही किया जायेगा।

(6)-योजनान्तर्गत विकास कार्यो का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि कम लागत से अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सके, के सिद्वान्त पर कार्य कराया जाए।

(4)-योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन -

(1)-योजना का संचालन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर तैयार की गयी समस्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से परीक्षणोपरान्त शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)-योजनाओं का चयन करते समय व्यक्तियों, क्षेत्रों एवं भौगोलिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक जनपद में विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाए।

(3)-प्रस्तावित ग्रामों के विकास कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित करते हुए यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित है।

(4)-योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के मध्य में एवं कार्य समाप्ति के पश्चात का फोटोग्राफ्स एवं कराये गये कार्यों की जानकारी का रिकार्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में रक्षित किया जायेगा तथा तथा साइनबोर्ड पर पेन्ट कराकर संबंधित ग्राम में लगाया जायेगा।

(5)-धनराशि के आवंटन एवं आहरण की व्यवस्था (फण्डिंग पैटर्न)-

(1)-एकीकृत विकास योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि शासन द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, समाज कल्याण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) कराकर उसे उपलब्ध करायी जाय।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपभोग उन्ही कार्यों / मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

(6)-द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था -

(1)- स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी का स्वरूप निम्न प्रकार होगा:-

(I)-उप निदेशक, समाज कल्याण, संबंधित मण्डल।

(II)-जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के किसी विभाग में तैनात लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी को सदस्य के रूप में।

(III)-संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को सदस्य सचिव के रूप।

(IV)-जिलाधिकारी द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर के अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)-प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि से कार्य कराने के उपरान्त कराये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन तथा उपभोग प्रमाण पत्र, फोटोग्राफस उपरोक्त समिति से अनुमोदित कराने के उपरान्त अवशेष किश्त हेतु प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)-अवशेष किश्त का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व कार्यदायी संस्था से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित धनराशि से किसी अन्य परियोजना का कार्य तो नही कराया गया है।

(4)-समिति स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष कराये गये कार्य, मौके पर सम्भव कार्य, कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कर संस्तुति करेगी। समिति द्वारा यह भी देखा जायेगा कि क्या स्वीकृत प्राक्कलन बढ़ाकर तो नहीं बनाया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि का कार्य हुआ है? कितना भुगतान हुआ है व पूर्ण कराने हेतु कितनी धनराशि देय है? इस संबंध में समिति द्वारा स्पष्ट रूप से संस्तुति की जायेगी। समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के समय सभी कार्यों / कार्यस्थलों का डिजिटल फोटोग्राफ्स अक्षांश एवं देशान्तर मैपिंग (Latitude And Longitude Mapping) के साथ तिथि सहित लेकर रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(5)-पूर्व उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्रों में जिन प्रकरणों में आवंटन कार्यदायी संस्थाओं को हुआ है उन प्रकरणों में उपभोग प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं जिन प्रकरणों में धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से व्यय की गयी है उनमें उपभोग प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे तथा उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराये जायेगे। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को समिति द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।

(6)-निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्राप्ति के 06 माह के अन्दर प्राप्त धनराशि की सीमा तक निर्माण कार्य पूर्ण कराकर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(7)-ऐसे प्रकरण में जिनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है उनका सक्षम स्तर से गैर विभागीय तकनीकी संस्था से सत्यापन कराया जाए तथा अनियमितता की स्थिति में वसूली आदि की कार्यवाही की जाए।

(8)-यह योजना ग्राम स्तर की है, जिसमें समस्त विकास कार्य ग्राम स्तर पर कराया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की महती भूमिका होती है अत: जनपद स्तर पर उक्त योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7)- <u>शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यों की थर्ड पार्टी जाँच राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से कराने की व्यवस्था -</u>

(1)-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निर्गत निर्माण संबंधी कार्यों में निर्धारित मानको को पूर्ण करने एवं टाइम ओवर/ कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिगत विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहें ऐसे कार्य जिनमें स्वीकृत लागत के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है ऐसे कार्यों की थर्ड पार्टी जाँच/ सम्परीक्षा आई. आई. टी अथवा किसी अन्य राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से कराने के उपरान्त ही अवशेष किश्त निर्गत किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। धनराशि की उपलब्धता होने पर ही अवशेष धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

(2)-निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रखना कार्यदायी संस्थाओं का उत्तरदायित्व होगा ।

(3)-ऐसे प्रकरण जिनमें समस्त धनराशि अवमुक्त् की जा चुकी है और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है, उनमें अभियान चलाकर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त किया जाए।

(4)-यदि युक्तियुक्त कारणों के इतर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों की निर्धारित गुणवत्ता/मानको के अनुरूप पूर्ण नहीं करती है तथा टाइम ओवर/ कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न है तो संबंधित कार्यदायी संस्था को काली सूची में डालने, बैंक गारण्टी जब्त किये जाने एवं धनराशि की वसूली आदि की कार्यवाही की जायेगी।

(5)-वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: एकीकृत विकास योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये निर्गत किये जा रहें दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-54 /2022/264(1)/26-3-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।

4- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0।

5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।